

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

करण संख्या :- 142/25

तारीख दायर 9/6/25

भगवानलाल पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

राधा पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

लाड पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

शंकर पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

मोहन पिता जीतमल जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

मोहन पिता नाथु जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

दिनेश पिता छोटु जी जाति दरोगा उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

कैलाश पिता शम्भु जी जाति भाट उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश:-

दिनांक :- 23/6/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी भगवानलाल ने जरिये अभिभाषक श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाडी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 149 पर स्थित आराजी संख्या 385 रकबा 0.4937 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भुमि, स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 149 पर स्थित आराजी संख्या 385 रकबा 0.4937 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भुमि की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

संख्या :- 142/25

तारीख दायर 9/6/25

विषय :-

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 142/25

पत्थरगढी बाबत।

भगवानलाल पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

राधा पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

लाड पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

शंकर पिता गोपाल जी जाति ब्राह्मण उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

1. मोहन पिता जीतमल जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

2. मोहन पिता नाथु जी जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

3. दिनेश पिता छोटु जी जाति दरोगा उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

4. कैलाश पिता शम्भु जी जाति भाट उम्र व्यस्क निवासी राणा जी का गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 149 पर स्थित आराजी संख्या 385 रकबा 0.4937 हैक्टेयर कुल कित्ता 1 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भूमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाय़ा जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को ~~को.द.या.~~ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ~~दिया गया~~ कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उ
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां